न्यू दुर्गा सरस्वती समिति पनागर

मां दुर्गा उत्सव समिति गर्दा खमरिया पनागर द्वारा स्थापित मां शेरावाली की प्रतिमा

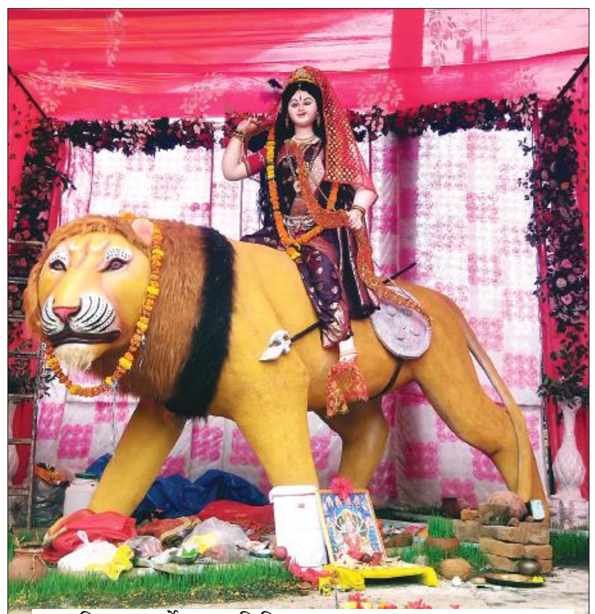
रवि दास दुर्गोत्सव समिति पनागर

उमरिया चौबे में गरबा नवरात्रि का आयोजन

पनागर नवभारत। नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर उमरिया चौबे और आसपास के क्षेत्रों का सबसे बड़ा गरबा नवरात्रि कार्यक्रम 28 सितंबर को अत्यंत उल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं युवाओं ने गरबा में भाग लेकर माता रानी की भक्ति में अपनी प्रस्तुतियां दीं। इस भव्य आयोजन के ऑर्गनाइजर उमरिया चौबे की युवा मण्डली रही, जिन्होंने पूरे आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम को माँ नर्मदा फेब्रिकेशन ने प्रायोजित किया। पूरे आयोजन स्थल पर आकर्षक सजावट, भक्तिमय संगीत और रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों ने माहौल भक्तिमय और उत्सवमय हो गया। गरबा नृत्य में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यह आयोजन क्षेत्र में सामूहिक एकता और संस्कृति का अद्भुत प्रतीक बनकर लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक जीवित रहेगा।

मनरेगा में लापरवाही, मिस्त्री को एक साल बाद भी नहीं मिला मेहनताना

▶ जबलपुर कलेक्टर तक पहुंची शिकायत

नवभारत,मझौली। जनपद पंचायत मझौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछी में मनरेगा के तहत कराए गए निर्माण कार्यों की मजदूरी का भुगतान न होने से परेशान एक राजमिस्त्री वीरेंद्र बर्मन ने अब कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत को कलेक्टर कार्यालय द्वारा 05/08/2025 को जनसुनवाई के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। वीरेंद्र बर्मन, जो ग्राम बिछी, तहसील मझौली के निवासी हैं, ने बताया कि पंचायत सचिव रघुवीर दुबे के मौखिक निर्देश पर उन्होंने पंचायत क्षेत्र में नाली एवं पुलिया निर्माण का कार्य मजदूरों सहित पूर्ण कराया था। इसके लिए कुल 64,000/- की राशि तय हुई थी, जिसमें से मात्र 20,000/- की नगद राशि दी गई, और शेष 44,000/- मनरेगा मजदूरी मद से भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। पीड़ित का आरोप है कि कार्य पूर्ण हुए एक वर्ष बीत चुका है, परंतु अब तक शेष राशि नहीं मिली है। 5 अगस्त 2025 को वीरेंद्र ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया। वीरेंद्र बर्मन ने मांग की है कि उन्हें उनका मेहनताना तुरंत दिया जाए तथा संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। साथ ही प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में मजदूरों का इस प्रकार शोषण न हो।

654 स्कूलों के 23387 विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

नवभारत,जबलपुर। शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति की राशि जिला स्तर पर जारी की गई है। जानकारी के अनुसार जबलपुर जिले में 23,387 विद्यार्थियों की 654 स्कूलों को 13,58,47,081 की राशि सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई है। सोमवार को जिला स्तर पर स्मॉल वंडर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्देवबाग में शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीसप्रतिपूर्ति का सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा राशि जारी करने के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में डीपीसी योगेश शर्मा के द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम अंतर्गत निःशुल्क अध्यनरत बच्चों एवं उनके अभिभावकों से संवाद भी किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दीं गईं। इस अवसर पर जिला प्रोग्रामर पारूल राय,बीआरसी डीसी अहिरवार, बीएसी अजय रजक, विद्यालय प्राचार्य विलियम डायस, संतोष ठाकुर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र-छात्राएं अभिभावक उपस्थित रहे।

11वीं सदी की अद्भुत मूर्ति : मझौली में स्थित विष्णु वराह मंदिर की अनोखी कहानी

नवभारत, मझौली। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित मझौली नगर में स्थित भगवान विष्णु के वराह अवतार का यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपने ऐतिहासिक, स्थापत्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर पूरे वर्ष खुला रहता है, लेकिन नवरात्रि, रामनवमी, वराह जयंती जैसे पर्वों पर यहां विशेष पूजा और उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें दूर-दराज से श्रद्धालु बड़ी

संख्या में भाग लेते हैं।

तालाब से मिली थी मूर्ति, धीरे-धीरे बड़ा होता गया आकार

इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन किवदंती के अनुसार, 11वीं सदी में एक युवक पास के तालाब में मछली पकड़ रहा था, तभी उसे एक छोटी सी मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति भगवान विष्णु के वराह अवतार की थी। आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ यह मूर्ति अपने आप बड़ी होती चली गई और आज इसका आकार विशाल और भव्य हो चुका है।

75 फुट ऊंचे रावण एवं कुंभकर्ण के पुतलों का होगा दहन

▶ 73वाँ पंजाबी दशहरा महोत्सव कल

नवभारत,जबलपुर। पंजाबी दशहरा में इस बार जहां 75 फुट ऊँचे विशालकाय रावण एवं कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा वहीं दूसरी ओर रोमांचकारी आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जायेगा। आयोजकों ने बताया इस वर्ष 73वाँ पंजाबी दशहरा ग्वारीघाट में बुधवार 01 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 4.30 बजे से श्रीराम के पूजन अर्चन, वंदन के साथ शोभायात्रा निकाली जायेगी और पंजाबी दशहरे का शुभारंभ डॉ स्वामी नृसिंहदेवचार्य महाराज के आर्शीर्वचन से होगा। पंजाबी हिन्दू एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र पाल मलिक नरेश ग्रोवर, इंदर बिरमानी, उमेश खुराना, मीडिया प्रभारी उमेश शर्मा, राजीव ओबेराय एवं महिला समिति अध्यक्ष उषा खुराना नवयुवक मंडल अध्यक्ष अंशुल मलिक ने बताया कि दशहरा में प्रख्यात शिवाकाशी, भारतीय अन्य आतिशबाजी का बेजोड़ प्रदर्शन किया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर के आतिशबाज एक से बढ़कर एक इन्दधनुषी बहुरंगीय धमाकों का प्रदर्शन करेंगे। जिसको म्यूजिक वाले नये बुहरंगीय आतिशबाजी के आयटम ग्वारीघाट के आसमान पर सीटी बजाते हुए रंगीन छटा बिखेरेंगे जो बच्चों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। उन्होंने बताया कि अश्वरोही दल, दुलदुल घोड़ी, भगवान रंग बिरंगी डिस्को लाइट, डांडिया प्रदर्शन इसका मुख्य आकर्षण होगा। साथ ही इस बार मुंबई से 10 सदस्यीय टीम आकृषक फायर शो एवं आतिशबाजी कर बेजोड़ प्रदर्शन करने शहर पहुंच रही है। सांस्कृतिक प्रभारी राजीव ओबेराय, सुधीर मेहता, राकेश गुप्ता, कमलेश खत्री, अजीत मिनोचा, विमला वर्मा, ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यकमों का शुभारंभ श्री गणेश वन्दना, श्री नर्मदा प्रस्तुति के साथ होगी। इसके अलावा सनातन संस्कृति एवं लोक संस्कृति पर केन्द्रित समूह नृत्यों को कलाकार प्रदर्शित करेंगे। लोकनृत्य का सरताज पंजाबी भांगड़ा की शानदार प्रस्तुति की जायेगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्याम बैण्ड के 200 कलाकारों द्वारा पंजाबी महिला समिति द्वारा निकाली जाने वाली भगवान श्रीराम की शोभायात्रा में धार्मिक धुनों का बेजोड़ प्रदर्शन होगा, साथ ही साथ उनका स्टेज शो भी होगा। इसके अलावा रंग-बिरंगी डिस्को लाईट, डांडिया, नृत्य प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होगा।

पुरानी राशि हो बहाल, अधिवक्ता संघ ने लगाई गुहार

जबलपुर, नवभारत। राज्य अधिवक्ता परिषद् की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु तय किए गए शुल्क एक लाख पच्चीस हजार रूपये पर अपत्ति ज़ाहिर करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद को पत्र लिखते हुए पुरानी राशि जो कि पच्चीस हजार रूपये तय की गई थी, उसे फिर से बहाल करने का आग्रह किया है। अधिवक्ता संघ के सचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद् में सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने हेतु नामांकन राशि 25 हज़ार रूपये चली आ रही थी। जिसे अब बढ़ाकर एक लाख पच्चीस हजार रुपए कर दिया गया है। जो कि विधि समंत नहीं है। अधिवक्ता संघ द्वारा कहा गया कि इस बढ़ी हुई राशि पर विचार किया जाना आवश्यक है।

स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत ली अंगदान की शपथ

नवभारत, जबलपुर। संत अलायसियस महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योज ?ना इमाई ने विक्टोरिया अस्पताल पहुंचकर मरीजों के साथ समय व्यतीत किया, साथ ही फूलव मास्क का भी वितरण किया। कार्यक्रम फादर डा येन एन्टेनो शोज के निर्देशन में डॉ अभिलाषा शुक्ल के संयोजन में आयोजित किया गया। छात्राओं द्वारा अस्पताल मैनेजमेंट स्टाफ से साथ मिलकर स्वच्छता की शपथ दिलाई। छात्राओं द्वारा अंगदान स्वच्छता की शपथ के बारे में अस्पताल कैम्पस में जनजागरूकता स्वयंसेवकों ने अंगदान की भी रैली के माध्यम से दी। कार्यक्रम के संयोजन में सीएमएचओ डॉ संजय मिश्रा का

पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ साथ ही अस्पताल प्रबंधन में कुलदीप सोनकर, कमलेश रैदास अमित सोनी, छाताओं में, साक्षी, नीलम समर्थ, सोहेब, का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में प्रियाशी, रिया, दीपाली, शपथ वैष्णवी द्वारा दिलवायी गयी।

कछपुरा ब्रिज का नाम सरदार पटेल करने की मांग

▶ जिला कुर्मी क्षत्रिय समाज ने महापौर को सौंपा ज्ञापन

नवभारत,जबलपुर। जिला कुर्मी क्षत्रिय समाज जबलपुर द्वारा सोमवार को महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, एवं नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार को एक ज्ञापन सौंपा गया। कुर्मी क्षत्रिय समाज जिला अध्यक्ष इंजी. कुर्मी विवेक चौधरी ने बताया कि कछपुरा ओवर ब्रिज का नामकरण सरदार जी के नाम से किए जाने का निर्णय पूर्व में नगर निगम द्वारा लिया जा चुका है। इस संबंध में उस स्थल पर नाम पट्टिका (शिलापट्ट) भी स्थापित की गई थी, लेकिन आज तक इस ओवर ब्रिज का आधिकारिक रूप से नामकरण नहीं हो सका है। जिला कुर्मी क्षत्रिय समाज ने अनुरोध किया है कि कछपुरा ओवर ब्रिज का नामकरण सरदार जी के नाम से शीघ्र कराने की कार्यवाही कर जनता की भावनाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही एसबीआई चौक विजय नगर स्थित सरदार पटेल उद्यान में प्रस्तावित लौह पुरुष, देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल जी की प्रतिमा 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी की जयंती के पूर्व स्थापित किए जाने की मांग की है। इस अवसर पर सुरेश पटेल, ओम प्रकाश सचान, राम मिलन पटेल, नारायण सिंह पटेल, पीएल कुर्मी, भरत पटेल, रंजीत पटेल, शैलेन्द्र पटेल, आदेश पटेल, जयप्रकाश पटेल, मोनू पटेल, नवीन पटेल, शैलू पटेल, अर्चना पटेल, रोशनी पटेल, बेड़ीलाल पटेल, श्याम मनोहर पटेल, अमन पटेल, जीवन पटेल, ज्ञान सनोदिया, बसोरी पटेल सहित बड़ी संख्या में समाजिक बंधु उपस्थित थे।

रंगबिरंगे परिधानों में मातृ शक्ति ने किया गरबा

नवभारत, जबलपुर। गैबिनाथ महिला मंडल द्वारा गैबी नाथ परिसर में मां अम्बे की भक्ति में गरबा का आयोजन किया गया। जिसमें रंगबिरंगे परिधानों में मातृ शक्तियों द्वारा विशेष प्रस्तुतियां की गई एवं नवरात्र के उपलक्ष्य में श्रृंगार सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के आयोजन में सपना तिवारी, रजनी तिवारी संगीता अवस्थी नीलू कुररिया, मधु बड़गैया, निधि तिवारी, निधि अवस्थी, जयश्री दुबे, शिखा दुबे, प्रतिभा दुबे, नेहा उपाध्याय, आरती अवस्थी, सीमा तिवारी का रहा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से श्रीमती कविता दुबे एवं अन्य मातृ शक्तियों उपस्थित रही । गरबा के आयोजन का ये द्वितीय वर्ष था।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया सब जेल सिहोरा का निरीक्षण

▶ लीगल एड क्लिनिक का शुभारंभ कर बन्दियों को दी सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा

सिहोरा नवभारत। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर कृष्णमूर्ति मिश्रा द्वारा सोमवार को सब जेल सिहोरा का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों से भोजन, उपचार, साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

इस अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर बंदियों को विधिक सहायता एवं उनके अधिकारों की जानकारी दी तथा उन्हें अपराध से दूर रहने और अच्छा साहित्य पढ़ने की प्रेरणा दी। बन्दियों को बताया कि कैसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लायें साथ ही जेल में नवनिर्मित लीगल एड क्लिनिक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुधांशु सिन्हा, जिला रजिस्ट्रार ऋषि मिश्रा, एसडीएम पुष्पेंद्र अहके, एसडीओपी आदित्य सिंहारिया, तहसीलदार जगभान उइके, थाना प्रभारी सिहोरा विपिन सिंह, थाना प्रभारी खितौला श्रीमती अर्चना जाट, लीगल एड पैनल अधिवक्ता दिलावर सिद्दीकी सहित अन्य विधिक सेवा कर्मचारी सहित जेलर दिलीप नायक एवं जेल स्टॉफ मौजूद रहे।

उप पंजीयक कार्यालय 30 को खुले रहेंगे

पाटन नवभारत। 30 सितम्बर को कलेक्टर जबलपुर द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। किंतु राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से पंजीयन कार्यालय मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार जिले के सभी पंजीयन कार्यालय खुलेंगे एवं उप पंजीयक कार्यालय पाटन भी 30 सितम्बर को पंजीयन कार्य हेतु खुलेगा।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि श्रीमती पुष्पलता साहू पति स्वं शंभू प्रसाद साहू उम्र 65 वर्ष पता 1188 इन्द्ररा गाधी वार्ड ज्योति नगर गढ़ा जबलपुर द्वारा दावा वास्ते घोषणा अधिनियम अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है। जिसका विधिक पूर्व प्र.क्र/RCSA/792/2023 एव नया विधिक प्र.क्र MJC/520/2025 है उक्त सम्बध मे जिस किसी आम साधारण को अपत्ति प्रस्तुत करना हो वह समक्ष न्यायालय क्षीमान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग XXIV Civil Judge Class-II जबलपुर के न्यायालय मे आगामी पेशी दिनांक 16/10/2025 को तथा इस प्रकांशन के 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति दे सकता है।

सरफराज खान अधिवक्ता
जिला सत्र न्यायालय जबलपुर (म.प्र.)
कार्यालय पता- म.न-1111 पुराना कछपुरा
आनंद कुंज जबलपुर (म.प्र.) 8463014468

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	98267898	संपति के विरुद्ध ऋण	30.08.2025	रु.5,27,680.26/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. अजीत सिंह राजपूत 2. अजय सिंह

संपति का पता: मौज़ा के अंतर्गत आने वाली ज़मीन और इमारत का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल नटवाड़ा, घर संख्या 50/34, आबादी खसरा संख्या 321/1, भूखंड क्षेत्रफल 30×30 = 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर) और भूतल का क्षेत्रफल 584.97 वर्ग फुट (54.36 वर्ग मीटर), तहसील शाहपुरा, जिला जबलपुर (मध्य प्रदेश), श्री अजय सिंह पुत्र गणेश सिंह के पक्ष में मूल पट्टा/प्रमाणित राजस्व प्रकरण संख्या 1239/बी-21/2015-16 वाली संपत्तियों के जमा दस्तावेजों के साथ और, सीमा- पूर्व- कालूराम, संरक्षण, पश्चिम- महंत जी एंड रोड, पीएस एमआईसी, उत्तर- गणेश सिंह, दक्षिण- कोटवार.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 30.9.2025
स्थान: जबलपुर

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

डिमांड नोटिस

कॉर्पोरेट कार्यालय: मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. सीएस: 8291889898, वेबसाइट: www.motilaloswalhf.com. ईमेल: hfquery@motilaloswal.com

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (MOHFL) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस की विषयवस्तु नीचे दी गई है:-

क्र.	ऋण अनुबंध संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि और बकाया	अचल संपत्ति का विवरण
1.	LXJAB00316-170038960 **उधारकर्ता-** स्वर्गीय संजय कृष्ण श्रीवास्तव **सह-उधारकर्ता-** संगीता संजय श्रीवास्तव	25-09-2025 / रु.8,54,810/-	मौजा पुरवा B.no-162 P.h.no-28/33 नया 07 आर.एन.एम.जबलपुर-1 पी/ओ ख नं 5/2 एवं 2/1 महराणा प्रताप वार्ड तहसील एवं जिला जबलपुर म.प्र. 482001 जबलपुर मध्य प्रदेश

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का पालन करें और उसमें उल्लिखित मांग राशि और ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, भुगतान प्राप्ति की तिथि तक के बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित करें. उधारकर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि MOHFL एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा, उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो MOHFL अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा करने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है. MOHFL को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, MOHFL को शेष राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य MOHFL को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है. यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत MOHFL को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है.

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में प्रावधान है और इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13 (13) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को MOHFL की पूर्व लिखित सहमति के बिना, सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे संबंधित लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं.

स्थान: मध्य प्रदेश
दिनांक: 30.9.2025
अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा.
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी-54 और सी-55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडे, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत

अधिनियम के तहत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित ऋणदाताओं से कहा गया है कि वे संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें. नीचे हस्ताक्षरकर्ता का मानना है कि ऋणकर्ता मांग नोटिस की सेवा से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा संलग्न और चिपकाने से प्रभावित हो रही है. मांग नोटिस की सामग्री नीचे उद्धृत की गई है:-

क्र.	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम एवं पता	ऋण राशि	डिमांड नोटिस की तिथिएवं बकाया राशि	संपति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	**ऋण खाता संख्या:** HL25NHR000139250 1. श्री/श्रीमती मनीष लोधी 2. श्री/श्रीमती ओमवतीवो मनीष लोधी **पता-** का. कमल सिंह लोधी, हरदौल वार्ड, गोटेगा, तहसील गोटेगाँव, नरसिंहपुर, हरदौल मंदिर के पास, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश-487118. **यह भी पता-** प्लॉट संख्या 02, पी.एच. संख्या 40, एन.बी. 278, कंडेली किसानी वार्ड 07, सिद्धि विनायक परिसर, कंडेली, नरसिंहपुर, म.प्र.-487001.	रु. 24,50,000/-	19.09.2025 रु.25,46,578/- (रुपए पच्चीस लाख छियालीस हजार पाँच सौ अट्ठहत्तर मात्र) 18.09.2025 तक	**स्थल के अनुसार पता-** प्लॉट संख्या 02, पी.एच. संख्या 40 एन.बी. 278, कंडेली किसानी वार्ड 07, सिद्धि विनायक परिसर, कंडेली, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश-487001. **दस्तावेज़ के अनुसार पता-** मौजा नरसिंहपुर पी.एच. नं. 40 एन.बी. 278 खसरा नं. 201/1, 206/1 किसानी वार्ड नं. 07 मंदिर के पास, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश. **योजना/विलेख/लेआउट के अनुसार सीमाएँ-** पूर्व- प्लॉट नं. 3, 4, 5, पश्चिम- प्लॉट नं. 1, दक्षिण- 12 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर- भूस्वामी की भूमि. **वास्तविक स्थल के अनुसार-** पूर्व- प्लॉट नं. 3, 4, 5, पश्चिम- प्लॉट नं. 1, दक्षिण- 12 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर- खुली भूमि.

उधारकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और खर्चों के साथ भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक करें. उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है जो उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई सुरक्षित संपत्ति है. यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. सुरक्षित ऋणदाता को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित ऋणदाता को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित ऋणदाता को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है. यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित ऋणदाता के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है (ए), सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है. डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और ऋणदाता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं.

स्थान: नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
दिनांक:- 19-9-2025
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड